न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 116/24 (वाद)
GCMS No. : 2024/253

अनवान

1. श्री देवीलाल पिता उंकार डांगी निवासी होली तहसील मावली।
2. श्री पूरा पिता उंकार डांगी निवासी होली तहसील मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री गंगाराम पिता पेमा भील निवासी होली तहसील मावली।
2. श्रीमती कमला पत्नी गंगाराम भील निवासी होली तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक : 10.01.2025

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा होली पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली की आराजी नम्बर 998 रकबा 0.5827 हेक्टेयर उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादीगणों व वादीगणों के परिवारवालों के नाम हिस्से अनुसार दर्ज हैं।
2. यह कि उक्त वर्णित आराजी वादीगण व वादीगणों के भाईयों की संयुक्त खातेदारी की होकर वादीगण व वादीगणों के भाई अपने अपने हिस्से अनुसार उक्त आराजीयात पर काश्त करते चले आ रहे है वाद में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादीगणों का कोई हक व अधिकार नहीं है न प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात के खातेदार ही है वाद वर्णित आराजीयात वादीगणों के संयुक्त खातेदारी की होकर वादीगण संयुक्त रूप से उक्त आराजीयात का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।
3. यह कि उक्त आराजीयात वादीगणों व वादीगणों के भाईयो के नाम न्यायालय के आदेश से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं प्रतिवादीगण रंजीश रखते है व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:51:55 IST
Reason: SelfAttested

आए दिन वादीगणो की खडी फसलो में नुकसान पहूंचाने की नियत से प्रतिवादीगण अपने पशु, बकरीयों को वादीगणों की खडी फसलो में छोड देते है व वर्तमान में भी बारिश होने पर वादीगण अपने खातेदारी व आधिपत्य की आराजीयात में फसल बोने के लिए गये तो प्रतिवादीगणों ने धमकी दी कि हम तुम्हारे द्वारा बोई गई ज्वार की फसल बडी होने पर हमारे पशुओ को खिला देगे व तुम ज्यादा करोगे तो हम एस सी एस टी का झुठा प्रकरण आपके खिलाफ दर्ज करवा देगे तुम्हारी जमानत भी नहीं होने देगे, इस तरह प्रतिवादीगण जो अनुसूचित जनजाति के लोग है जो वादीगणों को अपने खातेदारी व आधिपत्य की आराजीयात में फसल बोने व फसल लेने में रूकावट पैदा करते है जबकि प्रतिवादीगणो को ऐसा करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है न उक्त आराजीयात में प्रतिवादीगणों को कोई हक व अधिकार है वादीगणों व वादीगणो के भाईयों की संयुक्त खातेदारी की जमीन है जिसमें प्रतिवादीगणों का कोई हक व अधिकार नहीं हैं।

4. यह कि प्रतिवादीगण जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति होकर वादीगणों की जमीन के पास में इनके मकान होने से आए दिन वादीगणों के खातेदारी व आधिपत्य की आराजीयात में खडी फसलो को नुकसान पहंचाते है व फसल बडी होने पर अपने पशुओ को खिला देते है व वादीगणों द्वारा मना करने पर वादीगणों से लडाई झगडा करने पर उतारू होते है तथा वादीगणों व वादीगणों के परिवार वालो के विरूद्व एस.सी., एस.टी. के झुठे प्रकरण दर्ज कराने की धमकी देते है व झुठे प्रकरण दर्ज करा वादीगणों को जलील व परेशान करते है इसलिए प्रतिवादीगणो के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराना आवश्यक हो गया है कि वाद में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादीगण प्रवेश नहीं करे, न वादीगणों को अपनी आराजीयात में फसल बोने में कोई रूकावट पैदा करे, न फसल बडी होने पर अपने पशु वादीगण की खडी फसल में छोडे, न वादीगण की खडी फसल को अपने पशुओ से नुकसान पहुंचावे, वादीगण द्वारा अपनी आराजीयात में खडी फसल की सुरक्षा के लिए की गई बाड व तारबन्दी को नष्ट नहीं करे, न प्रतिवादीगण अपने पशुओ को वादीगण द्वारा बोई गई फसल में होकर लावे ले जावे, उक्त कार्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर, एजेन्ट इत्यादि से करावे, मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:51:55 IST
Reason: SelfAttested

5. यह कि प्रतिवादीगण ताकत के बल पर वादीगणो की भूमि को हडपने की नियत से वादीगणों द्वारा बोई गई फसल में ताकत के बल पर अपने पशु छोडकर नष्ट कर देते है, वादीगणों द्वारा मना करने पर भी नहीं मानते है व वादीगणों के मना करने पर प्रतिवादी संख्या 1, अपनी पत्नी प्रतिवादी संख्या 2 से झुठे मुकदमे में फसाने की धमकी देते है इसलिए प्रतिवादीगणों के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराना आवश्यक हो गया हैं। वादीगणों का प्राइमाफैसी केस है व सुविधा संतुलन भी वादीगणों के पक्ष में है प्रतिवादीगणों के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगणों को कोई नुकसान व क्षति नहीं होगी बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से वादीगणों को भारी नुकसान व क्षति होगी जिसका मूल्यांकन नकदी में किया जाना सम्भव नहीं होगा।
6. यह कि वाद कारण दिनांक 27.06.2024 को पैदा हुआ जब वादीगण अपने खातेदारी व आधिपत्य की आराजीयात में बारिश होने पर फसल बोने के लिए गये तो प्रतिवादीगणों ने ऐलानिया धमकी दी कि हम तुम्हारे द्वारा बोई गई फसल बडी होगी तो हम हमारे पशुओ को खिला देंगे व पशुओ को अन्दर छोडकर फसल को नष्ट करा देगें व वादीगणों द्वारा मना करने पर प्रतिवादीगण वादीगणों से गाली गलोच करते है व एस सी, एस टी के झुठे मुकदमे में फसाने की धमकी दी तब पैदा हुआ व पैदा होकर निरन्तर जारी हैं।
7. अन्त में निवेदन किया कि वादीगणो के पक्ष में व प्रतिवादीगणों के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादीगण प्रवेश नहीं करे, न वादीगणों को अपनी आराजीयात में फसल बोने में कोई रूकावट पैदा करे, न फसल बडी होने पर अपने पशु वादीगण की खडी फसल में छोडे, न वादीगण की खडी फसल को अपने पशुओ से नुकसान पहुंचावे, वादीगण द्वारा अपनी आराजीयात में खडी फसल की सुरक्षा के लिए की गई बाड व तारबन्दी को नष्ट नहीं करे, न प्रतिवादीगण अपने पशुओ को वादीगण द्वारा बोई गई फसल में होकर लावे ले जावे, उक्त कार्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर, एजेन्ट इत्यादि से करावे, मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:51:55 IST
Reason: SelfAttested

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 2 के विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

1. हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा होली पटवार हल्का बांसलिया तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 206 पर दर्ज आराजी नम्बर 998 रकबा 0.5827 हेक्टेयर भूमि वादीगण व अन्य सहखातेदार के नाम खातेदारी हक से दर्ज हैं। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। वादीगण का मुख्य रूप से कथन है कि प्रतिवादीगण हम वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि को हडपने की नियत से नाजायज रूप से हम वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं। न्यायालय का विनम्रतापूर्वक अभिमत है कि मौजा होली पटवार हल्का बांसलिया तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 206 पर दर्ज आराजी नम्बर 998 रकबा 0.5827 हेक्टेयर के अनुसार वादी रेकार्डेड खातेदार हैं। रेकार्डेड खातेदार के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। क्योंकि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में प्रतीत होता हैं। वादीगण की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण जबरन बेदखल कर देते है तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू वादीगण के पक्ष में साबित होते हैं क्योंकि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं साथ ही न्यायालय का यह भी अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा हो, इस सम्बन्ध में वादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है यदि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा हो तो वादीगण कब्जा प्राप्त करने के लिए इस वाद के तहत् अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। इसके लिए वादीगण सक्षम न्यायालय में प्रकरण दर्ज करा अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र हैं। अतः उपरोक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:51:55 IST
Reason: SelfAttested

विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा होली पटवार हल्का बांसलिया तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 206 पर दर्ज आराजी नम्बर 998 रकबा 0.5827 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण, वादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करें, साथ ही यदि कब्जा प्रतिवादीगण का है तो वादीगण, प्रतिवादीगण को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। कब्जे सम्बन्धित अधिकार हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकते हैं। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:51:55 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई
(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री देवीलाल पिता उंकार डांगी निवासी होली तहसील मावली।
2. श्री पूरा पिता उंकार डांगी निवासी होली तहसील मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री गंगाराम पिता पेमा भील निवासी होली तहसील मावली।
2. श्रीमती कमला पत्नी गंगाराम भील निवासी होली तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 116/24 (वाद)
GCMS No. : 2024/253

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा होली पटवार हल्का बांसलिया तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 206 पर दर्ज आराजी नम्बर 998 रकबा 0.5827 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण, वादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करें, साथ ही यदि कब्जा प्रतिवादीगण का है तो वादीगण, प्रतिवादीगण को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। कब्जे सम्बन्धित अधिकार हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकते हैं। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.01.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:51:55 IST
Reason: SelfAttested